निखिलेश झा, आईएएस
संयुक्त सचिव
NIKHILESH JHA, IAS
Joint Secretary

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

सं. 20-8(5)/2007-राभा

दिनांक : 01.12.2008

सेवा में

परिषद की सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान

विषय : विज्ञापन और प्रचार पर किया गया खर्च

महोदय,

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा सीएसआईआर मुख्यालय तथा उसकी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निरीक्षण के समय इस बात पर बार-बार बल (Emphasis) दिया जाता रहा है कि संघ सरकार की राजभाषा नीति एवं तत्संबंधी सरकारी आदेशानुसार **"अखबारों/पत्रिकाओं, पैम्फलेट आदि (प्रिंट मीडिया) के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक (टी.वी./फिल्म) माध्यम से तथा प्रदर्शन (बैनर, होर्डिंग) आदि के माध्यम से विज्ञापन और प्रचार पर किया गया खर्च हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में समान होना चाहिए"**। परंतु ऐसा व्यय समान न होने के कारण परिषद को संसदीय राजभाषा समिति के समक्ष अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ता है।

तदनुसार, इस विषय में भारत सरकार के राजभाषा विभाग से सलाह/राय मांगी गई थी। भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने स्पष्ट/सूचित किया है (फोटोप्रति संलग्न) कि **"संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के खंड-8 में संस्तुति संख्या-70 पर राष्ट्रपति जी के ये आदेश पारित हुए हैं कि सरकारी विज्ञापन की राशि का एक निश्चित प्रतिशत केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग अपनी आवश्यकतानुसार हिंदी तथा अंग्रेजी में दिए जाने वाले विज्ञापनों के संबंध में निर्धारित करें।"**

तदनुसार, अनुरोध है कि आप इसे अपनी प्रयोगशाला/संस्थान में सभी संबंधितों की जानकारी में लाएं ताकि इसका कड़ाई से अनुपालन किया जा सके।

भवदीय,

(निखिलेश झा)
संयुक्त सचिव (प्रशासन)

संलग्नक : यथोक्त

Tel. : 91-11-23716582, 23351745 ● Fax : 91-11-23714788 ● E-mail : jsa@csir.res.in

श्री राकेश कुमार
निदेशक (तकनीकी एवं नीति)
दूरभाषः 24617695

सत्यमेव जयते

गृह मंत्रालय
भारत सरकार
लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
Ministry of Home Affairs
Government of India
Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003

अ.शा.पत्र सं. I/14013/01/2008-रा.भा. (नीति-1) **दिनांकः 12 नवम्बर, 2008**

आदरणीय श्री झा,

कृपया संयुक्त सचिव (राजभाषा) को संबोधित अपने दिनांक 20/23 अक्तूबर, 2008 के अ.शा. पत्र संख्या 20-8(5)/2007-रा.भा. का संदर्भ लें जिसमें समाचार पत्रों आदि में हिंदी तथा अंग्रेजी में दिए जाने वाले विज्ञापनों पर व्यय की गई कुल राशि की प्रतिशतता की जानकारी चाही है ।

2. इस संबंध में यह कहना है कि संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के खंड 8 में संस्तुति संख्या 70 पर राष्ट्रपति जी के ये आदेश पारित हुए कि सरकारी विज्ञापन की राशि का एक निश्चित प्रतिशत केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग अपनी आवश्यकतानुसार हिंदी तथा अंग्रेजी में दिए जाने वाले विज्ञापनों के संबंध में निर्धारित करें ।

सादर,

आपका,

(राकेश कुमार)

श्री निखिलेश झा,
संयुक्त सचिव,
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद,
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग,
नई दिल्ली-110 001.

उपसचिव रा०भा०
17/11/08

डायरी संख्या 336
दिनांक 18/11/08

कार्यालय संयुक्त सचिव, सी. एस. आई. आर.
डी० एस० आई० आर० 5845
पत्र डायरी सं.
फाइल डायरी सं.
दिनांक 17/11/08